न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,

जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 04/2018

वादीगणः–	बनाम	प्रतिवादीः–
1. श्रवणकुमार पुत्र सुलाराम		1. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।
2. चुन्नीलाल पुत्र सुलाराम		
3. सुगनाराम पुत्र सुलाराम		
4. रामनिवास पुत्र सुलाराम		
5. सुशिला पुत्री सुलाराम		
6. पिस्ता पुत्री सुलाराम		
7. भगत पुत्र सुरेशकुमार		
8. तम्मना पुत्री सुरेशकुमार ना.बा. कुदरती वलिया माता सुमित्रा		
9. सुमित्रा पत्नी सुरेशकुमार जाति–जटिया रेगर निवासी–कवरिया नगर झाक, तहसील–बिलाड़ा, जिला–जोधपुर राज.।		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.03/01/2018

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता वादीगण ।
2. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 05/11/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा–बोगासनी पटवार हल्का निम्बोल में वादीगण एवं अन्य खातेदारान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 13 रकबा 0–06 बीघा, खसरा नंबर 14 रकबा 08–01 बीघा, खसरा नंबर 19 रकबा 3–07 बीघा, खसरा नंबर 28 रकबा 5–11 बीघा, खसरा नंबर 33 रकबा 04 बीघा, खसरा नंबर 35 रकबा 3–11 बीघा, खसरा नंबर 58 रकबा 6–07 बीघा, कुल रकबा 31–03 बीघा आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण संख्या 01 से 06 व 07 व 08 के दादा तथा नो के ससुर की 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि है। वादी संख्या 01 से 06 के पिता व 07 व 08 के दादा व 09 के ससुर का नाम पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में दुला पुत्र मेगा इन्द्राज है, जो गलत है जबकि सही नाम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सुलाराम पुत्र मेगाराम है जिसकी प्रमाणिता बाबत राजस्थान सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड तथा ग्राम पंचायत कवरिया नगर झाक से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में वादीगण के पिता दादा ससुर का नाम सुलाराम पुत्र मेगाराम इन्द्राज है। सुलाराम के सबसे बड़े पुत्र सुरेशकुमार की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को बतौर वादीगण को पक्षकार बनाया है। एवं सहखातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं होने पर उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण ने उक्त भूमि पर बैंक से ऋण लेने हेतु आवेदन करने पर जमाबन्दी में दुलाराम पुत्र मेगाराम गलत इन्द्राज होने के आधार पर बैंक द्वारा ऋण देने से भी मना कर दिया। वादीगण ने रेवेन्यु एजेन्यी को भी आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2017 को प्रस्तुत कर अपने दादा व ससुर सुलाराम पुत्र मेगाराम सही नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु कहा तब श्रीमान के समक्ष यह वाद घोषणा का वादीगण की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 24.11.2017 को वादीगण ने अपने पिता दादा ससुर का नाम राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज करने हेतु कहा तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा तब बमुकाम जैतारण तहसील-जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को जवाब दावा पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं करने से जवाबदावा बन्द किया गया। बहस वकील वादी सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबंदी संवत् 2074-2077, ग्राम-बौगासनी, तहसील-जैतारण के खाता संख्या नया 41, पुराना 32 के अनुसार दुला पुत्र मेगा खातेदार के रूप में दर्ज है। नामांतरकरण पंजिका ग्राम-बोगासनी, तहसील-जैतारण की प्रविष्टि संख्या 50 से स्पष्ट है कि खातेदार मेगा के फौत होनें पर उसके वारिसान क्रमशः धन्ना, जीवा, जसा और हुला के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। पश्चिम राजस्थान में स को ह के रूप में सामान्यतया उच्चारित किया जाता है। वर्तमान जमाबन्दी में सुला का दुला दर्ज है। वादीगण ने शपथ पत्र पर कथन किया है कि उनके पिता, दादा, और ससुर का सही नाम सुलाराम पुत्र मेगाराम दर्ज किया जावे, तथा दुला/हुला और सुला वस्तुतः एक ही व्यक्ति है। ग्राम पंचायत, झाक, पंचायत समिति-बिलाड़ा ने अपने पत्रांक एसपीएल-1 दिनांक 04.07.2018 द्वारा यह प्रमाणित किया है कि सुलाराम और दुलाराम पुत्र मेगाराम के एक ही व्यक्ति होनें एवं सही नाम सुलाराम होनें एवं वर्तमान में गग्रम पंचायत-झाक के ग्राम-कंवरिया के निवासी होनें को प्रमाणित किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा पेश भामाशाह कार्ड संख्या 01207245 में सुलाराम को रेखा देवी पत्नी चुन्निलाल के ससुर के रूप में अंकित किया हुआ है, वहीं भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र क्रमांक आरजे/24/187/456248 जो कि सुलाराम पुत्र मेगाराम के नाम जारी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तुतः सुलाराम/डुला/दुला पुत्र मेगाराम एक ही व्यक्ति है अतः वाद वादी स्वीकार करने योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम–बोगासनी, पटवार हल्का–निंबोल, तहसील–जैतारण के खाता संख्या नया 41, पुराना 32 के खसरा नंबर खसरा नंबर 13 रकबा 0–06 बीघा, खसरा नंबर 14 रकबा 08–01 बीघा, खसरा नंबर 19 रकबा 3–07 बीघा, खसरा नंबर 28 रकबा 5–11 बीघा, खसरा नंबर 33 रकबा 04 बीघा, खसरा नंबर 35 रकबा 3–11 बीघा, खसरा नंबर 58 रकबा 6–07 बीघा, कुल रकबा 31–03 बीघा आराजी में खातेदार के रूप में दर्ज दुला के स्थान पर दुला उर्फ सुलाराम पुत्र मेगाराम दुरूस्त किए जानें की घोषणा की जाती है, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम हो और बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 05/11/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादीगणः- बनाम प्रतिवादीः-

1. श्रवणकुमार पुत्र सुलाराम
2. चुन्नीलाल पुत्र सुलाराम
3. सुगनाराम पुत्र सुलाराम
4. रामनिवास पुत्र सुलाराम
5. सुशिला पुत्री सुलाराम
6. पिस्ता पुत्री सुलाराम
7. भगत पुत्र सुरेशकुमार
8. तम्मना पुत्री सुरेशकुमार ना.बा. कुदरती वलिया माता सुमित्रा
9. सुमित्रा पत्नी सुरेशकुमार
जाति-जटिया रेगर
निवासी-कवरिया नगर झाक,
तहसील-बिलाड़ा, जिला-जोधपुर
राज.।

प्रतिवादीः-

1. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 04/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-..... ... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि ग्राम-बोगासनी, पटवार हल्का-निंबोल, तहसील-जैतारण के खाता संख्या नया 41, पुराना 32 के खसरा नंबर खसरा नंबर 13 रकबा 0-06 बीघा, खसरा नंबर 14 रकबा 08-01 बीघा, खसरा नंबर 19 रकबा 3-07 बीघा, खसरा नंबर 28 रकबा 5-11 बीघा, खसरा नंबर 33 रकबा 04 बीघा, खसरा नंबर 35 रकबा 3-11 बीघा, खसरा नंबर 58 रकबा 6-07 बीघा, कुल रकबा 31-03 बीघा आराजी में खातेदार के रूप में दर्ज दुला के स्थान पर दुला उर्फ सुलाराम पुत्र मेगाराम दुरूस्त किए जानें की घोषणा की जाती है, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम हो और बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/11/2019 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.27 17:07:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: